न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या-2, कोटा

पीठासीन अधिकारी : सरिता धाकड़, RJS (DJ Cadre)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 1290/2026
CNR No. RJKT01-003075-2026

पवन पुत्र पदम निवासी सदर बाजार सरसिया थाना जहाजपुर, जिला-भीलवाडा राजस्थान

....प्रार्थी/अभियुक्त

ब ना म

राजस्थान राज्य, जरिए अपर लोक अभियोजक, कोटा

जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-5, कोटा में विचारगत नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 42216/2025 राज्य/पवन, बमुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 418/2022, पुलिस थाना गुमानपुरा कोटा शहर, अपराध अन्तर्गत धारा 420 व 406 भारतीय दंड संहिता

उपस्थितः-

1. श्री इकबाल हुसैन, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से

- आदेश - दिनांकः 18.06.2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त **पवन** की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. जरिये अधिवक्ता माननीय सेशन न्यायाधीश, कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु न्यायालय हाजा को अंतरित किया गया, प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 23.04.2025 को गिरफ्तार किया गया है।

02. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से तर्क दिया है कि प्रार्थी काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चला आ रहा है। प्रार्थी के विरूद्ध झूंठा प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी पर झूंठा आरोप लगाकर फंसाया गया है। प्रार्थी का उक्त प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, प्रार्थी से किसी प्रकार की रिकवरी व बरामदगी शेष नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी की

पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है तथा प्रार्थी अपराधी किस्म का व्यक्ति नहीं है और न ही किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा दर्ज है। प्रार्थी भीलवाड़ा जिले का निवासी है, गरीब व्यक्ति है, जिसके फरार होने व गवाहों को टेम्परविद किये जाने की कोई संभावना नहीं है। प्रकरण के विचारण में लम्बा समय लगने की संभावना है। प्रार्थी द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आरोपपत्र पेश करने से पूर्व पेश किया गया जो खारिज कर दिया गया, अब आरोपपत्र पेश किया जा चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

03. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र का विरोध किया और यह कथन किया कि अभियुक्त ने गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे।

04. उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि परिवादी ललित किशोर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि अभियुक्तगण श्रीमती मेना देवी, पवन जैन, पंकज जैन व कुमुद जैन द्वारा पूर्व में प्रार्थी से बदनियति रखते हुए प्रार्थी के एक परिचित के माध्यम से प्रार्थी से दिनांक 23-01-2021 को प्रार्थी के मित्र के होटल ली-आमोर-8 झालावाड़ रोड, गुरुद्वारे के पास छावनी कोटा राज० में आकर मिले तथा अभियुक्त मेना देवी व पवन जैन ने पूर्व योजनानुसार प्रार्थी से राशि हड़प करने की नियत से अभियुक्तगण को कुशल फंड मैनेजर बताते हुए कहा कि यह अन्य व्यक्तियों से राशि निवेश लेकर उस राशि को अपने कुशल मार्गदर्शन में उचित जगह निवेश कर लाभ अर्जित करते हैं तथा उस लाभांश में से निवेशकों को तयशुदा लाभांश प्रतिमाह अदा करके उन्हें लाभान्वित करते हैं तथा निवेशकों की राशि पर 1-2 साल के अंदर दोगुनी राशि से भी अधिक का मुनाफा करवाते हैं। अभियुक्तगण ने प्रार्थी को अपने जाल में फंसा कर राशि हड़प करने के दुराशय से प्रार्थी को कुछ उन लोगों के नाम भी बताए जिन्होंने अभियुक्तगण के साथ राशि निवेश कर रखी थी, जिनमें कुछ प्रार्थी के पूर्व परिचित लोग भी थे तथा प्रार्थी को यह कहकर कि यदि प्रार्थी भी उनके कहे अनुसार राशि निवेश करेगा तो प्रार्थी को भी 1-2 वर्ष के अंदर दोगुने से भी अधिक मुनाफा कमाकर देगें। यह कहते हुए प्रार्थी से राशि प्राप्त कर हड़प कर जाने की नियत से प्रार्थी को राशि निवेश करने के लिए उकसाया। प्रार्थी द्वारा पूछने पर अभियुक्तगण ने बताया कि वो राशि प्रोपर्टी मार्केट, म्यूचल फंडस, जमीन के सौदों, शेयर बाजार आदि में निवेश कराकर मुनाफा कमाते हैं।

05. आगे वर्णित किया कि अभियुक्तगण ने दिनांक 28-12-2021 को प्रार्थी

Authentic Document

के मित्र के व्यवसाय स्थल होटल ली-अमोर-8 झालावाड़ रोड, गुरुद्वारे के पास छावनी कोटा राज० पर आये तथा प्रार्थी से राशि प्राप्त कर हड़प करने की नियत से प्रार्थी को राशि निवेश करने पर 1-2 वर्ष में दोगुना मुनाफा करवाने का प्रलोभन दिया। जिस पर प्रार्थी अभियुक्तगण के झांसे में आ गया तथा अभियुक्तगण के कहे अनुसार 28-12-2021 को 5,00,000/- रूपये Sai Roadways नामक फर्म के बैंक आईसीआईसीआई, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के बैंक खाते 754605000011 में ट्रांसफर करवा दी तथा अभियुक्तगण के बहकावे में आकर पुनः दिनांक 24-01-2022 को Nre Trendz नामक फर्म के बैंक खाते संख्या 687705500414 बैंक आईसीआईसीआई, कोटा राज० में 9,00,000/- रूपये की राशि ट्रांसफर करवा दी तथा दिनांक 16-02-2022 को Neerja Fun Acedamy नामक फर्म के बैंक आईडीएफसी बैंक, भोपाल म.प्र. खाता संख्या 10082544483 में 10,00,000/- जमा करवा दी।

06. आगे वर्णित किया कि अभियुक्तगण दिनांक 23-05-2022 को प्रार्थी के मित्र के होटल ली-अमोर-8 झालावाड रोड, गुरुद्वारे के पास छावनी कोटा राज० में आये और प्रार्थी से और राशि निवेश करने को कहा, जिस पर प्रार्थी ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि प्रार्थी को अभी तक कुछ भी लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वह और अधिक राशि निवेश नहीं करेगा। जिस पर अभियुक्तगण ने प्रार्थी को आश्वस्त किया कि अभियुक्तगण का एक मुख्य आफिस भीलवाड़ा में है, जहां से अभियुक्तण व्यापार को बड़े स्तर पर आपसी सहयोग से प्रोपर्टी व अन्य कार्यकुशलता से करते हैं। दिनांक 25-05-2022 को 9,89,049/- रूपये की राशि जरिये आरटीजीएस जमा करायी तथा प्रार्थी से कहा कि यह प्रार्थी के प्रथम 05 लाख रुपये की निवेश की गई राशि का लाभांश सहित रिटर्न है, यदि प्रार्थी और अधिक राशि निवेश करेगा तो इसी प्रकार अल्प अवधि में अत्यधिक मुनाफे के साथ रिटर्न प्राप्त होगा, जिस पर प्रार्थी पुनः अभियुक्तगण द्वारा दिये प्रलोभन व झांसे में आ गया। दिनांक 07-06-2022 को पुनः अभियुक्तगण के कहे अनुसार उनके निर्देश पर 20 लाख रूपये की राशि गोयल ब्रदर्स नामक फर्म के बैंक ए.यू. स्माल फाईनेंस बैंक, कोटा राज० के खाते में जरिए आरटीजीएस ट्रांसफर करवा दिये।

07. आगे वर्णित किया कि माह जून 2022 के अंतिम सप्ताह में प्रार्थी को जानकारी हुई कि अभियुक्तगण अपनी सोची समझी साजिश के तहत लोगों को प्रलोभित कर उनसे निवेश के नाम पर राशि प्राप्त कर हड़प कर भागने वाले हैं, जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 27 जून 2022 को अभियुक्तगण से संपर्क किया तथा उन्हें उक्त जानकारी बाबत उलाहना दिया तो अभियुक्त मेना देवी ने प्रार्थी को आश्वस्त किया कि "सही समय पर राशि लाभांश सहित प्राप्त हो जायेगी। आप बस और अधिक निवेश करने पर ध्यान दीजिए।" अभियुक्तगण की बात पर भरोसा करके प्रार्थी वापस आ

Authentic Document

गया। उक्त दिनांक के पश्चात से ही अभियुक्तगण प्रार्थी से फोन पर भी बात नहीं कर रहे हैं तथा मिलने की बात पर भी टालमटोल कर रहे हैं। अभियुक्तगण ने अपने-अपने मोबाईल नंबर को भी स्विच आफ कर दिया है। जिस पर प्रार्थी को शंका होने पर अभियुक्तगण के निवास पर गया, जहां अभियुक्तगण मिले तब प्रार्थी ने अपनी निवेश की राशि की मांग करने पर अभियुक्तगण ने प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलोच की तथा प्रार्थी की राशि लौटाने से साफ इंकार कर दिया।..... इत्यादि।

08. उक्त परिवाद वास्ते जांच पुलिस थाना गुमानपुरा कोटा भेजा गया, जहां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 418/2022 अपराध धारा 420, 406, 120 बी भादस में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-5, कोटा में धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता में आरोपपत्र पेश किया गया, जिस पर प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 42216/2025 राज्य बनाम पवन के रूप में विचारगत होकर वर्तमान में साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर नियत है, जिसमें सूची गवाहन में शामिल कुल 13 गवाहन में से 8 गवाहन की साक्ष्य लेखबद्ध हो चुकी है।

09. पत्रावली पर यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना दर्शाया गया है तथा अभियुक्त लगभग एक वर्ष से न्यायिक अभिरक्षा में है किन्तु प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी को पूर्ण विश्वास में लेकर परिवादी के साथ षडयंत्र के तहत छल कपट व धोखाधड़ी करते हुए बेईमानीपूर्ण आशय के तहत दिनांक 28.12.2021 को पांच लाख रूपए, दिनांक 24.01.2022 को नो लाख रूपए, दिनांक 16.02.2022 को दस लाख रूपए एवं दिनांक 07.06.2022 को बीस लाख रूपए विभिन्न फर्मों के खाते में जमा प्राप्त कर हड़प कर लिए है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420 विकल्प में 406 भारतीय दंड संहिता के अधीन गम्भीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। प्रकरण में परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू.-6 बाबूलाल का बयानों के दौरान यह कथन रहा है कि- "उसके बैंक अकाउण्ट में 9 लाख रूपए जो ललित कुमार चतुर्वेदी ने डाले थे उसके बारे में पवन जैन ने कहा था कि यह उसके निवेश की गई राशि के एवज में है। पवन जैन ने ललित कुमार चतुर्वेदी से धोखाधड़ी करके रूपए लिए थे और उसके अकाउण्ट में भी ट्रांसफर करवाए थे। उसने पवन जैन के खिलाफ थानाम हावीर नगर में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी जिसके एफ.आई.आर. नमबर 277/2022 दिनां क14.07.2022 है। पवन जैन ने उससे व अन्य व्यक्तियों को झांसा देकर ठगी करके रूपए हड़प लिए, उसके उपर काफी कर्जा हो गया है और उसका घर भी बिक गया है।"

Authentic Document

10. इसी प्रकार अन्य परीक्षित गवाहन ने भी अभियुक्त पवन की भूमिका के सम्बंध में प्रकरण में बयान दिए हैं तथा प्रकरण में अभी महत्वपूर्ण गवाहन जिनमें परिवादी व अनुसंधान अधिकारी भी शामिल है, की साक्ष्य लेखबद्ध होना शेष है। यदि इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया गया तो उसके गवाहान को डराने धमकाने व फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में धोखाधडी के मामले अत्यधिक तादाद में बढ़ रहे है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। किन्तु प्रार्थी/अभियुक्त के हितों को सुरक्षित रखने के आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के आदेश किया जाना आवश्यक है।

11. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **पवन** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। उक्त आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में उक्त प्रार्थी/अभियुक्त पवन न्यायिक अभिरक्षा में है अतः प्रकरण में शेष रहे साक्षीगण को यथाशीघ्र तलब किया जकर प्रकरण का निस्तारण आदेश की दिनांक से तीन माह के भीतर-भीतर किया जावे।

(सरिता धाकड़)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम संख्या-2 कोटा

12. आदेश आज दिनांक 18.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरिता धाकड़)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम संख्या-2, कोटा

Steno grade First
DINESH CHAND GUPTA
Digitally signed by DINESH CHAND GUPTA
Location: adj 2 kota
Date: 2026.06.19 08:17:31 +0530

Authentic Document